

हेतु दिनांक 05.10.2021

2021

5/11/2021 दिनांक पेछी कापी एवं कापी के
 मालिकता अनुपस्थिति सिद्ध करके कु
 कर हीन आर कावाले दिखवाए गए
 जो केर हकीकत का वादपान के माते
 द्वारा 88, 89, 188 RPA क अधिनियम
 के अन्तर्गत के शक्ति कि प्र
 जाना है

पुनः पुनः सुमा केर कम्प
 से 53

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 सिंगोपुर जिला भीलवाडा (राज)

